

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, "ऑपरेशन थियेटर परीचारक" पद के लिए भर्ती नियमों के
मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में,
"ऑपरेशन थियेटर परीचारक" के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पण्धारक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल -
कर सकते हैं।

श.संगत
(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

, 2019

सा.का.नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (वर्ग IV) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध थियेटर अर्दली के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली में थियेटर अर्दली और थियेटर परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर परिचारक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 4. निरहता: वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर या अवश्यक पद		सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
			बेतन मैट्रिक्स में स्तर	अवश्यक पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आँपरेशन चियेटर परिचारक	32* (2019) चियेटर अद्विती (30) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माध्यराण केन्द्रीय सेवा, समूह 'पा', अराजपत्रित, अनुसन्धानचीवीय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदर्शों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
(7)	(8)	(9)	(10)		टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अध्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमानल प्रदेश के लाहोल और लक्ष्मीप के अध्यर्थियों के लिए पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्मीप के अध्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या उसके समतुल्य अर्हता के साथ मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र, और	(ii) विशेषकर सरकारी या पब्लिक सेक्टर उपकरण में आँपरेशन शियेटर पेशे में एक वर्ष का अनुभव।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं ग्रोन्ट व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली चिकित्यों की प्रतिशतता	टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने की नियत तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या उसके समतुल्य अर्हता के साथ मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र, और	(ii) विशेषकर सरकारी या पब्लिक सेक्टर उपकरण में आँपरेशन शियेटर पेशे में एक वर्ष का अनुभव।
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अध्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिकियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	

१५

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p> <p>(11)</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> <p>(12)</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परमर्श किया जाएगा</p> <p>(13)</p>
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर चिकार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष (iii) उपनिदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली 	<p>लागू नहीं होता।</p>

[ए.11018/46/2019-एमएच III]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार